



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939

No. 916]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1378(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 और 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), ईमेल: js-tpt@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. (i) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(ii) इन नियमों में अन्यथा उपबंध किए जाने के सिवाय ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम (इसके बाद उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम (4) और (5) को उप-नियम (5) और (6) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।
3. नियम 125ग, उप-नियम (6), जैसा कि पुनःसंख्यांकित है, में निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(7) (क) मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को और उसके बाद विनिर्मित एम2 और एम3 श्रेणी की पूरी तरह से तैयार हो गई बसें समय-समय पर यथा संशोधित एआइएस: 153 के अनुसरण में होंगी जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अंतर्गत तदनुसूची बीआइएस विनिर्देशों की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है।"

(ख) उपर्युक्त उप-नियम 7 (क) के अनुसार अनुमोदित बसों के लिए नीचे सारणी-1 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया जाएगा:—

सारणी I

क्र. सं.	कल-पुर्जे/घटक/असेम्बली/कार्य-निष्पादन पैरामीटर	वाहन श्रेणी	आवश्यकताएं/मानक	आरंभन/वैधता की तिथि
1	सकल वाहन वजन की तुलना में इंजन की शक्ति	सभी एम 2 और एम 3 श्रेणी की बसें	> 5 किलोवाट/टन	1 अप्रैल, 2019
2	त्वरण	सभी एम 2 और एम 3 श्रेणी की बसें	0 - 30 किमी/घंटा त्वरण > 0.8 मी / से ² टी = 10.5 एस आइएस: 11851 - 1986 (2012 की पुनः पुष्टि)	1 अप्रैल, 2019
3	आंतरिक शोर स्तर की अपेक्षाएं	सभी एम 2 और एम 3 श्रेणी की बसें	81 डीबी (ए) आइएस: 12832 -2010	1 अप्रैल, 2019
4	कंपन	सभी एम 2 और एम 3 श्रेणी की बसें	कंपन: 1. निम्नतम सहज आवृत्ति-5 हर्ट्ज निम्नलिखित लोड स्थिति के तहत: सामान्य भार (स्थिर) = यात्रियों की संख्या * (यात्री का वजन (68 कि.ग्रा.) + यात्री के सामान का भार (कि.ग्रा.))।	1 अप्रैल, 2019

क्र. सं.	कल-पुर्जे/घटक/असेम्बली/कार्य-निष्पादन पैरामीटर	वाहन श्रेणी	आवश्यकताएं/मानक	आरंभन/वैधता की तिथि
			<p>2. स्तर (सुस्त गति, 20 किमी/घंटा, 40 किमी/घंटा, 60 किमी/घंटा और अधिकतम गति पर परीक्षण किया जाना)</p> <p>क. ड्राइवर/यात्री सीटों पर ≤ 0.5 मी/से²</p> <p>ख. गैंगवे में ≤ 1 मी/से²</p>	
5	कठोरता	सभी एम 2 और एम 3 श्रेणी की बसें	<p>कठोरता का स्तर जिसे गड़ड़ों व गति अवरोधकों आदि से युक्त शहर की सड़कों पर शहर में ड्राइविंग की परिस्थितियों के अंतर्गत मापा गया:</p> <p>क. 0.5-1 हर्ट्ज, 5-7 हर्ट्ज और 18-20 हर्ट्ज की सीमाओं से परे आने वाली प्रमुख आवृत्तियां</p> <p>ख. बैठने की जगह में अधिकतम क्षणिक कंपन स्तर 1 ग्राम</p> <p>ग. ड्राइवर सीट में अधिकतम क्षणिक कंपन स्तर 0.1 ग्राम</p>	1 अप्रैल, 2019
6	ब्रेकिंग कार्य-निष्पादन	सभी एम 2 और एम 3 श्रेणी की बसें	एआइएस 150	1 अप्रैल, 2019
7	आग संसूचन, अलार्म और दमन प्रणाली	सभी एम 2 और एम 3 श्रेणी की बसें, स्कूल बसें, डबल डेक बसें, स्लीपर कोच और और इंटरसिटी बसें	एआइएस 135	1 अप्रैल, 2019
8	मल्टीप्लेक्सिंग/इलेक्ट्रॉनिक वास्तुकला	सभी एम 2 और एम 3 श्रेणी की बसें	आइएसओ 15765: 2004	1 अप्रैल, 2019
9	अप्रत्यक्ष दृश्य उपकरण	सभी एम 2 और एम 3 श्रेणी की बसें	एआइएस 002 (रेव.1)	1 अप्रैल, 2019"

[फा. सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल (पार्ट)]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ.), दिनांकित 2 जून, 1989 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछले संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. _____ (अ.) दिनांकित _____ के तहत किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2017

G.S.R. 1378(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 109 and 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email : js-tpt@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2017.
(ii) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules (hereinafter referred as the said Rules), after sub-rule (4), the following sub-rules (4) and (5) shall be renumbered as sub-rules (5) and (6).
3. In rule 125C, sub-rule (6) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(7) (a) Fully built buses of M2 and M3 category manufactured on and after 1st April 2019, by Original Equipment Manufacturers shall be in accordance with AIS:153, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)”.

(b) The buses approved as per sub-rule 7 (a) above shall also comply with the requirements, as specified in Table I below:

TABLE I

Sl. No.	Parts/components/Assemblies/Performance Parameter	Vehicle Category	Requirements/Standards	Date of commencement/ validity
1	Engine Power to Gross Vehicle Weight	All M2 and M3 category Buses	> 5 kW/ton	1 st April 2019
2	Acceleration	All M2 and M3 category Buses	0 – 30 km/h Acceleration >0.8 m/s ² T = 10.5 s IS : 11851 – 1986 (Reaffirmed 2012)	1 st April 2019
3	Interior noise level requirements	All M2 and M3 Category buses	81 dB (A) IS : 12832 -2010	1 st April 2019
4	Vibration	All M2 and M3 category buses	Vibrations: 1. Lowest natural frequency -5 Hz Under following load condition: Normal loads (static) = Number of Passenger* (weight of Passenger (68 Kgs.) + Passenger luggage weight (Kgs)). 2. Levels (to be tested at idling speed, 20 km/h, 40km/h, 60 km/h and max speed) a. At driver/Passenger seats ≤ 0.5 m/s ² b. In gangway ≤ 1 m/s ²	1 st April 2019

Sl. No.	Parts/components/Assemblies/Performance Parameter	Vehicle Category	Requirements/Standards	Date of commencement/validity
5	Harshness	All M2 and M3 category buses	Harshness levels when measured under city driving conditions on city roads with pot holes and speed breakers, etc.: a. Dominant frequencies to fall outside the ranges of 0.5-1 Hz, 5-7 Hz and 18-20 Hz b. Transient vibration level in seating area maximum 1g c. Transient vibration level at driver seat maximum 0.1g	1 st April 2019
6	Braking Performance	All M2 and M3 Category buses	AIS 150	1 st April 2019
7	Fire detection, Alarm and Suppression system	M2, M3 category buses, School buses, Double Deck buses, Sleeper coaches and Intercity buses	AIS 135	1 st April 2019
8	Multiplexing/electronic architecture	All M2 and M3 Category buses	ISO 15765:2004	1 st April 2019
9	Indirect vision devices	All M2 and M3 Category buses	AIS 002 (Rev. 1)	1 st April 2019"

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL(Part)]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. ____ (E) dated _____.